क्या चैरिटी संस्थाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवकों पर सेहत और सुरक्षा कानून लागू होते है ? (Does Health and Safety legislation apply to volunteers working for charities?)

जहाँ किसी भी संस्था में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी हो तो उसे एच एस डब्यू एक्ट और इसके तहत बनाये गए नियमों के प्रयोजन से 'रोजगारदाता' कहा जाएगा.

The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 (ISBN 0717624889 - एच एस ई बुक्स से प्राप्त किया जा सकता है) रोजगारदाताओं और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए यह कर्त्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे कर्मचारियों और किसी भी अन्य (अर्थात स्वयंसेवकों, मुव्वकिलों और ग्राहकों) को हो सकने वाले जोखिमों का आकलन करें. इस आकलन के परिणामस्वरूप उचित रूप से बचावकारी और संरक्षक उपाय करने होगें ताकि शिनाख्त हो चुके जोखिमों को कम किया जा सके, यदि वर्तमान में इन जोखिमों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं हो तो. बाद में बताए गए कुछ नियमों में खास तरह के बचावकारी और संरक्षक उपाय बताए गए है, जो कतिपय परिस्थितियों या कुछ खास किस्म के क्रियाकलापों के समय करने होते हैं.

आमतौर पर, स्वयंसेवी कामगारों के लिए भी सेहत और सुरक्षा के वही मानक है जो उसी तरह की जोखिम स्थितियों में कर्मचारियों पर लागू होते हैं. तथापि, यदि जोखिम आकलन मे यह प्रकट हो कि स्वयंसेवी कामगारों को हो सकने वाले जोखिम अलग प्रकार के हैं, तो किए जा रहे बचावकारी और संरक्षक उपायों को भी अलग जोखिम के अनुसार होना चाहिए.

एच एस ई का यह मानना है कि बेहतर तो यही है कि सेहत और सुरक्षा के वही संरक्षण स्वयंसेवी कामगार को भी दिए जाने चाहिएँ जो मालिक/कर्मचारी सम्बन्ध में दिए जाते है, भले ही सख्त कानूनन कर्त्तव्य हों या नही.

एच एस ई ने गाइडलाइन्स का प्रकाशन किया है - HSG192, Charity and voluntary workers : a guide to health and safety at work, (ISBN 0717624242 - एच एस ई बुक्स से प्राप्त किया जा सकता है).